कार्यकारी सारांश

यह लेखापरीक्षा क्यों की गई?

दिल्ली में जल आपूर्ति, सीवरेज, सीवेज निपटान और जल निकासी व्यवस्था की ज़िम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के पास है। दिल्ली में जल आपूर्ति की कमी और सीवरेज सुविधाओं की अपर्याप्तता को देखते हुए, 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि को शामिल करते हुए एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या: (i) डीजेबी द्वारा दिल्ली के सभी निवासियों को निरंतर और विश्वसनीय जल आपूर्ति सुनिश्चित की गई थी (ii) दिल्ली के सभी स्थानों में सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध थीं और जलाशयों में अशोधित सीवेज के निपटान को कम करने के लिए सीवेज का शोधन और निपटान कुशलतापूर्वक किया गया था और (iii) डीजेबी ने अपने संसाधनों का कुशल और प्रभावी तरीके से प्रबंधन किया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष क्या थे?

- मार्च 2041 तक दिल्ली की अनुमानित जनसंख्या लगभग 28 मिलियन के लिए, दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने 1,680 मिलियन गैलन प्रति दिन (एमजीडी) जल की आवश्यकता का आकलन किया। अनुमानित आवश्यकता के प्रति कच्चे जल की उपलब्धता में कमी 22 *प्रतिशत* (2017-18) से बढ़कर 24 *प्रतिशत* (2021-22) हो गई, जब कि अनुमानित आवश्यकता के प्रति पेय जल की कमी 24.2 *प्रतिशत* से बढ़कर 25.79 *प्रतिशत* हो गई। जल की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर का मुख्य कारण कच्चे जल के स्रोतों की अपर्याप्तता, उनकी शोधन क्षमता और आपूर्ति बढ़ाने में विफलता था।

(पैराग्राफ 2.1 एवं 2.3.1)

- समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के 30 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, मानसून के दौरान नदी के अप्रयुक्त प्रवाह का उपयोग करने के लिए रेणुका, लखवार और किशाऊ बांधों के निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो सका, जिससे जल की कमी की समस्या और भी गंभीर हो गई।

(पैराग्राफ 2.3.1)

- सरकार ने नीतिगत मामलों पर बोर्ड को सलाह देने तथा वार्षिक और पंचवर्षीय योजनाएं बनाने आदि के लिए कोई जल नीति नहीं बनाई है और न ही जल परामर्श परिषद का गठन किया है।

(पैराग्राफ 2.2)

- जल शोधन संयंत्रों (डब्ल्यूटीपी), जलाशयों, जल आपात और बोरवेलों में प्रवाहमापियों के अभाव में, डब्ल्यूटीपी में शोधित/बोरवेलों से निकाले गए, जलाशयों में भेजे गए और उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए गए जल की मात्रा को सटीक रूप से नहीं मापा जा सका।

(पैराग्राफ 2.4)

- 2017-22 के दौरान, भूमिगत जलाशयों (यूजीआर)/सर्विस जलाशयों (एसआर) से वितरित जल की संचरण हानि 16 *प्रतिशत* से बढ़कर 21 *प्रतिशत* हो गई। क्षेत्रीय स्तर पर पेय जल की असमान आपूर्ति के कारण स्थिति और भी विकट हो गई। चार क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति पेय जल की उपलब्धता 20 जीपीसीडी से कम और आठ क्षेत्रों में 40 गैलन प्रति व्यक्ति प्रति दिन (जीपीसीडी) से कम थी, जब कि आवश्यकता 60 जीपीसीडी की थी।

(पैराग्राफ 3.1)

- डीजेबी की परीक्षण प्रयोगशालाओं में कर्मचारियों और उपकरणों की कमी थी। जल परीक्षण बीआईएस मानदंडों के अनुसार नहीं किया जा रहा था। निजी जल शोधन संयंत्रों (डब्ल्यूटीपी) और पुनर्चक्रण संयंत्रों में कैंसरकारी पॉलीइलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग जारी था, जब कि एक ज्ञापन के द्वारा उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था।

(पैराग्राफ 2.5)

- दिल्ली जल बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2011 के लागू न होने के कारण, दिल्ली सरकार या डीजेबी के अधीन कोई ऐसा प्राधिकरण नहीं था जिसके पास भूजल संसाधनों के विनियमन, नियंत्रण और विकास की प्रभावी योजना बनाने की शक्ति हो। परीक्षण किए गए भूजल के 16,234 नमूनों में से 8,933 नमूने (55 *प्रतिशत*) पीने योग्य नहीं पाए गए।

(पैराग्राफ 2.6.1.1 एवं 2.6.1.2)

- गैर-राजस्व जल (एनआरडब्ल्यू) घटक 2017-22 की अवधि के दौरान वर्ष 2019-20 को छोड़कर, प्रति दिन आपूर्ति की गई औसत जल मात्रा के 51 *प्रतिशत* से 53 *प्रतिशत* के बीच रहा। उक्त अवधि के दौरान एनआरडब्ल्यू के कारण डीजेबी द्वारा प्राप्त न किए गए राजस्व की अनुमानित राशि ₹ 4,988 करोड़ थी।

(पैराग्राफ 3.3)

- दिल्ली में आपूर्तित जल के आधार पर अनुमानित उत्पन्न सीवेज की मात्रा 594 एमजीडी थी, जिसमें से 545 एमजीडी का शोधन 35 सीवेज शोधन संयंत्रों (एसटीपी) द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की मार्च 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, 1,080 अनधिकृत कॉलोनियों से उत्पन्न 212.59 एमजीडी सीवेज को अशोधित रूप में ही वर्षा जल नालियों में बहा दिया गया।

(पैराग्राफ 4.1 एवं 4.2.1)

- 25 एसटीपी द्वारा यमुना में छोड़ा गया शोधित अपशिष्ट जल डीपीसीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं था। शोधित अपशिष्ट जल में फीकल कोलीफॉर्म (एफसी) बैक्टीरिया के स्तर की निगरानी करने की कोई व्यवस्था भी नहीं थी।

(पैराग्राफ 4.3.2 एवं 4.3.3)

- डीजेबी में प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र का अभाव था। उदाहरण के लिए, एक मामले में, डीजेबी को विलंब के लिए एनजीटी द्वारा लगाए गए जुर्माने के रूप में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को ₹ 25 लाख का भुगतान करना पड़ा, जिससे शीघ्र कार्रवाई द्वारा बचा जा सकता था।

(पैराग्राफ 4.3.4)

- सीवरेज और जल आपूर्ति की चयनित परियोजनाओं में संकल्पना और नियोजन चरणों में कमियां थीं। इसके परिणामस्वरूप, चंद्रावल डब्ल्यूटीपी और उसके कमांड क्षेत्र के पुनरुद्धार में विलंब हुआ और दिल्ली जल आपूर्ति सुधार निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत वज़ीराबाद डब्ल्यूटीपी और उसके कमांड क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा ₹ 2,243 करोड़ का वित्तपोषण वापस ले लिया गया।

(पैराग्राफ 5.1)

- लेखापरीक्षा के दौरान कार्यों के आकलन, आबंटन और निष्पादन में अनियमितताओं के मामले पाए गए, जिनमें एनआईटी शर्तों और कें.लो.नि.वि. नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन देखा गया।

(पैराग्राफ 5.2, 5.3 एवं 5.4)

- डीजेबी ने केवल वर्ष 2021-22 तक के लेखे वैधानिक लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए हैं और उन पर जारी पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) में कहा गया है कि डीजेबी के लेखे डीजेबी के कामकाज की 'सही और निष्पक्ष तस्वीर' प्रस्तुत नहीं करते हैं।

(पैराग्राफ 6.1)

- बजट के प्रति राजस्व प्राप्तियों में 11.28 *प्रतिशत* से 41.71 *प्रतिशत* तक की कमी रही। डीजेबी अपनी राजस्व प्राप्तियों से अपने राजस्व व्यय की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में असमर्थ रहा। डीजेबी द्वारा आय से अधिक व्यय (2020-21 को छोड़कर) बयाना राशि, रोकी गई प्रतिभूति जमा और पूंजीगत निधियों के अव्ययित शेष से पूरा किया गया था। डीजेबी ने अपने राजस्व व्यय का 50 *प्रतिशत* से अधिक अपने कर्मचारियों के वेतन के भुगतान पर खर्च किया, जिससे संगठन के पास विकास व्यय के लिए कम संसाधन ही बचे।

(पैराग्राफ 6.2)

- डीजेबी का कुल बकाया ऋण और देय ब्याज ₹ 66,595 करोड़ (मार्च 2022) था।

(पैराग्राफ 6.3.2)

- 2021-22 के दौरान, डीजेबी ने उत्पादित पेय जल का केवल 371 एमजीडी (40 *प्रतिशत)* का बिल जारी किया था। इसके अतिरिक्त, 371 एमजीडी में से केवल 244 एमजीडी (66 *प्रतिशत*) का बिल मीटर रीडिंग के आधार पर जारी किया गया था।

(पैराग्राफ 6.3.3)

- सभी प्रकार की सेवाओं के लिए भुगतान और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु लागू की गई आईटी आधारित राजस्व प्रबंधन प्रणाली कार्यात्मक कमियों, जैसे क्रियान्वयन में विलंब, वैधीकरण जांच का अभाव और प्राप्त राजस्व के समाधान की सुविधा और अभिलेखों का डिजिटलीकरण न होना, से ग्रस्त थी।

(पैराग्राफ 6.4)

- आईएफएमएस के आंकड़ों और डीजेबी के विभिन्न विंगों में अनुरक्षित कार्यरत व्यक्तियों के आंकड़ों में 3,057 कर्मचारियों का अंतर था।

(पैराग्राफ 7.1)

- 2017-18 से 2021-22 के दौरान, नियमित कर्मचारियों की कमी लगातार 23.09 *प्रतिशत* से बढ़कर 32.12 *प्रतिशत* हो गई है।

(पैराग्राफ 7.2)

- डीजेबी में अनियमित नियुक्तियों के मामले सामने आए, जिनमें कोडल प्रावधानों का उल्लंघन किया गया, साथ ही प्रशिक्षण की योजना अपर्याप्त थी और स्थानांतरण नीति के कार्यान्वयन में विफलता थी।

(पैराग्राफ 7.4, 7.5 एवं 7.6)

हम क्या सुझाव देते हैं?

1. दिल्ली की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति के अनुरूप जल की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए जल नीति और परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना।
2. सभी डब्ल्यूटीपी, भूमिगत जलाशयों और नलकूपों के इनलेट/आउटलेट बिंदुओं पर नियमित रूप से अंशांकित प्रवाहमापियों की स्थापना और जल हानि और राजस्व हानि को रोकने के लिए जल लेखापरीक्षा करना।

3. सभी निर्धारित मापदंडों के अनुसार जल गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाना।

4. जल टैंकरों पर जीपीएस ट्रैकर सहित जल एवं सीवरेज के लिए आवश्यक अवसंरचना के अनुरक्षण एवं उन्नयन के लिए कार्यक्रम निर्धारित करना।

5. बड़े और संस्थागत उपभोक्ताओं पर ज़ोर देते हुए बकाया राशि के संग्रहण में तेज़ी लाना, ताकि वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके।

6. डीजेबी में कर्मचारियों की भारी कमी को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई करना।

****